न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/59 दर्ज तिथि 10.05.2022

1. बाबूलाल पुत्र श्री सूण्डाराम उम्र 55 साल जाति बलाई निवासी टोडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–स्वामी) थानागाजी जिला अलवर राजस्थान
2. रामनारायण पुत्र हरसहाय उम्र 70 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी टोडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

..........प्रतिवादी

उपस्थित........
वादी अधिवक्ता:– श्री विजय कुमार बराला।
प्रतिवादी अधिवक्ता:– पेरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्री:–

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क एवं नक्शा दुरूस्ती साबिक रिकॉर्ड एवं हाल रिकॉर्ड व नक्शा से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर वादी को हाल खसरा संख्या 69/0.01 है0 तथा 70/1.25 है0 का [illegible] है। साथ ही वादी को हाल खसरा संख्या 69/[illegible] गै0मु0चाह के प्रतिवादी संख्या–02 की खातेदारी [illegible] हाल खसरा संख्या 71 में किये गये [illegible] वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

की खातेदारी में दर्ज 70/1.25 है0 में मुताबिक मौका अंकन करवाकर तरमीम दुरूस्ती एवं हाल खसरा संख्या 69/0.01 है0 किस्म गै0मु0चाह तथा हाल खसरा संख्या 70/1.25 है0 का हाल राजस्व नक्शा में मुताबिक रकबे आपस में परिवर्तित कर पुनः तरमीम करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

ह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। क्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/59 दर्ज तिथि 10.05.2022

1. बाबूलाल पुत्र श्री सूण्डाराम उम्र 55 साल जाति बलाई निवासी टोडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–स्वामी) थानागाजी जिला अलवर राजस्थान
2. रामनारायण पुत्र हरसहाय उम्र 70 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी टोडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान

...........प्रतिवादी

उपस्थित.......
वादी अधिवक्ताः– श्री विजय कुमार बराला।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– पेरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.02.2023

1. आज यह राजस्व वाद पत्र बाबत इस्तकरारहक्क व नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुआ। वाद पत्र का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय में पेश कर अभिकथन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, खसरा नंबर 70 रकबा 1.25 है0 ... वाके ग्राम टोड़ा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित ... है। उक्त विवादित आराजी का वादी सालिम काबिज काश्तकार खातेदार है ... वादी मौके पर अपनी उक्त आराजी व चाह पर काबिज है और काबिज रहकर अपने विवादित चाह का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। विवादित ... से प्रतिवादी संख्या 02 का या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

अन्य किसी का किसी किस्म का कोई हक संबंध नहीं है। वादी की आराजी विवादित के लगते हुए ही प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 71 व 72 स्थित है तथा प्रतिवादी के नाम खातेदारी आराजी पर मौके पर कोई गै0मु0 चाह नहीं है। वादी की विवादित चाह मौके पर मौजूद होने के कारण बन्दोबस्त संवत् 2060 में विवादित चाह का जमाबंदी में नया खसरा नंबर 69 रकबा 0.01 है0 गै0मु.चाह व खसरा नंबर 70 रकबा 1.25 है0 चाही तृतीय अंकित कर नये नंबर कायम कर दिये गये तथा बन्दोबस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने बिना मौका देखे बिना रिकॉर्ड की जॉच किये वादी के विवादित चाह को प्रतिवादी संख्या 02 के नाम आराजी खसरा नंबर 71 में अंकित कर दिया। अंत में उक्त गलत दर्ज इन्द्राज को वादी की खातेदारी आराजी ख0न0 69 में चाह अंकित कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा तथा राजस्व नक्शा दुरूस्त करवाने का निवेदन किया गया।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत तामील प्रतिवादी संख्या 01 न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं बाद विधिवत तामील उपस्थित होकर इकबाल जबाब दावा पेश किया गया। इकबाल जबाब दावा में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा वाद पत्र के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि वादी की विवादित आराजी चाह खसरा नंबर 70 को बन्दोबस्त कर्मचारियों संवत्–2060 में प्रतिवादी की आराजी खसरा नंबर 71 में दर्ज कर दिया गया है। अतः जिस चाह को वादी आराजी खसरा नंबर 70 रकबा 1.25 है0 में गैर मुमकिन चाह का अंकन कर दिया जाता है तो मुझे प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं है।

3. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि हाल रिकॉर्ड नक्शा में दर्ज वादी के विवादित चाह को प्रतिवादी संख्या 02 के नाम खातेदारी आराजी खसरा संख्या 71 में दर्ज चाह के गलत इन्द्राज को कमलजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी आराजी खसरा संख्या 70 में गैर मुमकिन चाह की घोषणा कर हाल नक्शा में दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर [illegible] एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलो[illegible] पाया गया कि संलग्न दस्तावेजात् जमाबन्दी संवत् 2076–79 [illegible] खसरा संख्या 69 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0 मुमकिन चाह व खसरा [illegible] 70 रकबा 1.25 है0 किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

शाही तृतीय हिस्सा पूर्ण वाके ग्राम टोडा तहसील थानागाजी का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज होना प्रमाणित है एवं जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 172 में वर्णित खसरा नंबर 71 व 72 में प्रतिवादी संख्या 02 पूर्ण हिस्सा खातेदार काश्तकार है। अतः वादी के उक्त दर्ज हिस्सा आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं होना प्रमाणित है। बन्दोबस्त संवत् 2060 के नक्शा में बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादी के खातेदारी आराजी के खसरा नंबर 70 को प्रतिवादी संख्या 02 के नक्शा में अंकन किया गया है, जो सहवन से इन्द्राज गलत दर्ज होना सिद्ध होता है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध इकबाल जबाबदावा में भी वादी के वाद पत्र में अंकित सभी बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए अभिकथन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी व चाह के हाल खसरा संख्या 69/0.01 है0 को वादी की खातेदारी के खसरा संख्या 70/1.25 है0 के राजस्व नक्शे में मुताबिक मौका दर्ज किया जाना उचित है।

5. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा इकबाल जबाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा इकबाल जबाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निस्तारित किये जाने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–1 का उद्धरण इस प्रकार हैः–

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. *Parties not at issue.* —*Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.*

6. प्रकरण में हाल राजस्व नक्शा वाके ग्राम टोड़ा तहसील थानागाजी जिला अलवर के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की खातेदारी में दर्ज हाल खसरा संख्या 69/0.01 है0 किस्म गै0मु0चाह को राजस्व नक्शा में प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज हाल खसरा संख्या 71 में हाल खसरा संख्या 70 अंकित कर रखा है जबकि हाल खसरा संख्या 70 का रकबा मुताबिक जमाबन्दी 1.25 है0 है। अतः बन्दोबस्त संवत्–2060 द्वारा कायम किये गये हाल खसरा संख्या 69/0.01 है0 तथा 70/1.25 है0 की तरमीम संबंधी इन्द्राज गलत कायम किया गया है जो कि काबिल–ए–दुरूस्त है। अतः वादी का दावा बाबत राजस्व नक्शा दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरार [illegible] नक्शा दुरूस्ती साबिक रिकॉर्ड एवं हाल रिकॉर्ड व न[illegible] से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर वादी को हाल खसरा संख्या 69/0.01 है0 तथा 70/1.25 है0 का खातेदार

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

घोषित किया जाता है। साथ ही वादी को हाल खसरा संख्या 69/0.01 है0 किस्म गै0मु0चाह के प्रतिवादी संख्या–02 की खातेदारी में दर्ज हाल खसरा संख्या 71 में किये गये अंकन को कलमजन कर वादी की खातेदारी में दर्ज 70/1.25 है0 में मुताबिक मौका अंकन करवाकर तरमीम दुरूस्ती एवं हाल खसरा संख्या 69/0.01 है0 किस्म गै0मु0चाह तथा हाल खसरा संख्या 70/1.25 है0 का हाल राजस्व नक्शा में मुताबिक रकबे आपस में परिवर्तित कर पुनः तरमीम करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पत्रावली तैयार की जाये।

आज 09.02.2023 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner